न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/272

1. शिवबक्श
2. बजरंग लाल
3. रामप्यारी पिसरान स्व0 श्री भंवर लाल जाति माली निवासीगण ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. कन्हैया लाल
5. लीलाधर
6. सन्जू
7. कुन्ती पिसरान स्वर्गीय श्री प्रेमनारायण जाति माली निवासीगण ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
8. श्रीमती संतोष बेवा स्वर्गीय श्री प्रेमनारायण जाति माली निवासी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. गिर्राज प्रसाद
2. बलराम पिसरान रामकिशन जाति माली निवासीगण ग्राम अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां ।
3. श्रीमती लटूरी बाई पुत्री रामकिशन जाति माली निवासी ग्राम अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां ।
4. चन्द्र प्रकाश
5. सुशीला पिसरान बाबूलाल जाति माली निवासीगण बैर हाउस के पीछे ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां ।
6. श्रीमती मंजू पत्नी श्री बाबूलाल जाति माली निवासी बैरहाउस के पीछे ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां ।
7. गंगा
8. पुष्पा पिसरान स्व0 श्री औंकार जाति माली निवासीगण ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां ।
9. जानक्या आत्मज मन्नालाल जी जाति माली निवासी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
10. मोहन
11. रामचन्द्र
12. सत्यनारायण पिसरान स्व0 हजारा उर्फ छोटूलाल जाति माली निवासीगण ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
13. देवीशंकर पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा।
14. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

15. रूपेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल जाति ब्राह्मण निवासी पूनम कोलोनी गली नम्बर 12 कोटा जंक्शन तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अशोक कुमार गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद की 14 किता की 3.27 हैक्टर भूमि तथा ग्राम तोरण तहसील दीगोद की कुल 08 किता की 0.61 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया।

3. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 के द्वारा वादी का वाद मेरिट पर खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद वास्ते जवाबदावा में विचाराधीन था जिसे लोक अदालत कैम्प सुल्तानपुर में रखते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । राजस्व लोक अदालत में केवल मात्र ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है

पक्षकारान सहमत हों और राजीनामा के आधार निर्णय पारित किये जाते हैं परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में ही बिना पक्षकारान की सहमति के उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार हैं । वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में कब्जा मुखालफाना के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत तरीके से खारिज किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत कैम्प सुल्तानपुर में रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है क्योंकि राजस्व लोक अदालत में केवल मात्र ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया हो परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलान्ट की अनुपस्थिति में ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जबकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 09.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा